न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19 / 2023	16.06.2023	20.05.2026

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपाल मीना निवासी बडवारा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. कैलाश पुत्र गोपाल मीना निवासी बडवारा तहसील खण्डार जिला स0मा0।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. विजयपाल पुत्र चिरंजी मीना निवासी बड़वारा तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. तहसीलदार लैंड होल्डर तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री अंजनी कुमार तेहरिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज0टी0एक्ट 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—

- यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 18 / 12 रकबा 02.00 बीघा, खसरा नम्बर 18 / 13 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 18 / 14 रकबा 13 बिस्वा कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा बांके ग्राम बडवास, तहसील खण्डार में स्थित है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। लेकिन बाहय बंटवारा अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में आई है तथा प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। जमाबन्दी नकल संलग्न है।
- यह कि प्रार्थीगण के हिस्से की उक्त आराजीयात पर आने जाने कृषि संसाधन ट्रेक्टर बगैरा लाने ले जाने का एक मात्र ग्राम रास्ता शिवायचक भूमि ख.नं. 847 / 18 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा, बांके ग्राम बडवास में स्थित भूमि से गुजर कर प्रार्थीगण के उक्त खेतों तक पहुंचता है। उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ाई है। उक्त सिवायचक भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 ने जबरन अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है।
- यह कि प्रार्थी प्रार्थीगण के खेतों पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता उक्त सिवायचक भूमि से गुजर कर प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचता है। इसलिए प्रार्थीगण राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा अनुज्ञा के लिए आवेदन है।
- यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर पहुंचने आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसी रास्ते से प्रार्थी कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने व ले जाने के काम में ले रहा है, जो 15 फीट चौड़ा है। उक्त रास्ते पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 05.02.2023 को सुबह 10.00 बजे झाड़ कांटे बगैरा लगाकर अतिक्रमण कर लिया जिससे प्रार्थीगण का खेतों पर आना जाना बन्द हो गया तथा प्रार्थीगण के खेत पड़त रह गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 01 नाराज हो गये और माँ बहनों की फोस गालियां देते हुए मारपीट पर

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

उतारू हो गये। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना लाजमी आया।

- यह कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 05.02.2023 को समय करीब सुबह 10.00 बजे उक्त 15 फीट चौड़ा रास्ता जो सिवायचक भूमि ख.नं. 847/15 की मेड़ के सहारे-सहारे गुजर कर प्रार्थीगण के खेतों की ओर जा रहा था जिसे अतिक्रमण कर कब्जा कर फसल बोकर बन्द करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।
- यह कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- यह कि अप्रार्थी संख्या 02 लैण्ड होल्डर है इसलिए फोरमल पक्षकार बनाया गया है।
- अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 18/12 रकबा 02.00 बीघा, खसरा नम्बर 18/13 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 18/14 रकबा 13 बिस्वा कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा बांके ग्राम बड़वारा, तहसील खण्डार में स्थित भूमि पर आने जाने कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु ग्राम बड़वारा आम रास्ते से गुजर कर सिवायचक भूमि ख.नं. 847/18 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा बांके ग्राम बड़वास में स्थित भूमि से 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में अंकन करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी होने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खण्डार से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

3. तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एलआर/2025/2155 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की गई। जो संलग्न पत्रावली है।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक खण्डार एवं पटवारी अनियाला के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार नक्शा शीट खसरा नम्बर 18 रकबा 176 बीघा 8 बिस्वा एक ही नम्बर है जबकि मुताबिक जमाबन्दी मूल खसरा 18 के उपखसरे 78 है। जिसमें खातेदारी व सिवायचक भूमि है। नक्शाशीट में तरमीम नहीं होने के कारण खसरा नम्बरान तथा खातेदारान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के हिस्से की उक्त आराजीयात पर आने जाने कृषि संसाधन ट्रेक्टर बगैरा लाने ले जाने का एक मात्र ग्राम रास्ता सिवायचक भूमि ख.नं. 847/18 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा, बांके ग्राम बडवास में स्थित भूमि से गुजर कर प्रार्थीगण के उक्त खेतों तक पहुंचता है। उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ाई है। उक्त सिवायचक भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 ने जबरन अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है।

तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार मूल खसरा नम्बर 18 की नक्शा शीट में पुख्ता तरमीम नहीं। क्योंकि खसरा नम्बर 847/18 की नक्शा शीट में तरमीम नहीं इसलिए यह तय किया जाना संभव नही है कि मौके पर रिकॉर्डेड/चालू रास्ते से धारा 251 क के तहत सबसे कम दूरी का रास्ता किन खसरों से गुजरता है। प्रार्थी द्वारा मद नम्बर 5 में अंकित किया

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

गया है कि उक्त 15 फीट चौड़ा रास्ता जो सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 847/15 की मेड़ के सहारे–सहारे गुजर कर प्रार्थीगण के खेतों की ओर जा रहा था जिसे अतिक्रमण कर कब्जा कर फसल बोकर बन्द कर दिया गया।

" धारा 251 के तहत मार्ग तथा अन्य निजी सुखाचारों के अधिकार.– (1) किसी भू–धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, विधि के सम्यक क्रम में भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाल जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू–धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक– आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा "

6. इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों अनुसार आराजी पर पहुंच हेतु कदमी रास्ता रहा है। धारा 251 के तहत मार्गाधिकार के उपभोग विघ्न डाले जाने के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। इस न्यायालय को नये मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने की स्थिति में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251क के तहत श्रवण अधिकार प्राप्त है। फलस्वरूप विचाराधीन प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं तरमीम नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)